21.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट छावसरी में पेश हुई। वादी मामराज स्वयं उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल रहे। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपना जवाबदावा पेश किया। जवाब तहसीलदार उदयपुरवाटी के अनुसार ग्राम छावसरी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 742 स्थित है जो गत ख.नं. 307 से बने है। गत ख.नं. 307 व हाल ख.नं. 742 के नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर गत नक्शा ट्रेस व हाल ख.नं. 742 के पूर्व दिशा में स्थित ख.नं. 759, 970, 972, 973 की तरफ तथा पश्चिम दिशा में थोड़ी दूरी में अन्तर है यानी ख.नं. 742 दबा हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी के जवाब दावा के अनुसार मौके पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत ख.नं. 307 के अनुसार हाल ख.नं. 742 का नक्शा ट्रेस नहीं बनाया है तथा मौके पर हाल ख.नं. 742 का रकबा दबा हुआ है जिसको लेकर ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है एवं ख.नं. 742 की भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद एवं मुकदमा बाजी नहीं बढ़े इसके लिए बन्दोबस्त विभाग की सर्वे टीम से नपती कराया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छावसरी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 742 जो गत ख.नं. 307 से बने है की नपती भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर द्वारा करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। इस बाबत श्रीमान जिला कलक्टर महो. झुन्झुनू को लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.5.18 को कैम्प कोर्ट छावसरी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner